न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

(01)

खेमलाल स्वर्णकार वगै0 बनाम् रामचन्द्र स्वर्णकार वगै0

विविध वाद संख्या –60/2024

U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. खेमलाल स्वर्णकार, पिता – स्व0 जयलाल स्वर्णकार,
2. राजेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार, पिता – स्व0 जयलाल स्वर्णकार,

दोनों साकिन – बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. रामचन्द्र स्वर्णकार, पिता – स्व0 सरजू स्वर्णकार,
2. अशोक स्वर्णकार, पिता – स्व0 सरजू स्वर्णकार,
3. शंकर स्वर्णकार, पिता – स्व00 महेश स्वर्णकार,

सभी साकिन– बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगोदर	166	986	25 डी0 मधे 13 डी0	उ0– रास्ता, द0– पोखर अनंतलाल, पु0– नीज, प0– रबुल मियां एवं मदर मियां।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 10.04.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र की छायाप्रति, कुल – 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. प्रसादी सोनार वगै0 के नाम से ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति, कुल – 06 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

4. प्रसादी सोनार वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. खेमलाल स्वर्णकार एवं राजेन्द्र प्रसाद स्वर्णकार के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 2 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 10.04.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष खतियानी जमीन जो सर्वे खतियान प्रसादी सोनार वगैरह के नाम पर दर्ज है जिसमें प्लॉट नं0 – 986, रकबा – 25 डी0 बकब्जे प्रसादी सोनार के नाम पर इन्द्राज पाया गया है। जो मौजा – बगोदर, थाना – बगोदर, थाना नं0 – 107, जिला – गिरिडीह अन्दर खाता नं0 – 166, प्लॉट संख्या – 986, रकबा – 25 डी0 मधे 13 डी0 चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – पोखर अनंतलाल, पू0 – नीज, प0 – रबुल मियां एवं मदर मियां।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि प्रसादी सोनार के दो पुत्र पहला जयलाल सोनार दूसरा युगल सोनार, जिसमें जयलाल सोनार अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः 1. खेमलाल सोनार, 2. विशेश्वर सोनार, 3. राजेन्द्र सोनार है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि उक्त जमीन का जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर के जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 6, पेज नं0 – 177 में प्रसादी सोनार वगैरह के नाम से दर्ज है जिसका मालगुजारी रसीद लगातार निर्गत होते आ रहा है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा बरकरार है तथा बराबर उक्त भूमि पर जोत कोड कर फसल उपजा करते चले आ रहे हैं।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 10.07.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि उभय पक्ष दोनों एक ही खतियान धारी के वंशज है, दोनों पक्ष के पूर्वजों के बीच में जमीन का बंटवारा मौखिक हो चुका है और उसी मौखिक बंटवारे के मुताबिक आज तक उभय पक्ष शांति पूर्वक कायम – काबिज चले आते है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि प्रथम पक्ष ने जो वाद आपके न्यायालय में लाये है वह जमीन अंचल बगोदर, थाना – बगोदर, मौजा – बगोदर, थाना नं0 – 107 खाता नं0 – 166, प्लॉट नं0 – 986, रकबा – 25 डी0 मधे रकबा – 13 डी0 जिसकी चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – पोखर अनंतलाल, पू0 – नीज तथा प0 – रबुल मियां एवं मदर मियां।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष ने जो वाद आपके न्यायालय में लाये है इसी उपरोक्त जमीन में से द्वित्तीय पक्ष के पूर्वज सरजू सोनार, पिता – वकील चंद सोनार के नाम पर खरीदगी से प्राप्त जमीन है। जो जमीन प्राप्त है वह जमीन भी खाता नं0– 166, प्लॉट नं0 – 775, रकबा – 46 डी0 मधे 7 1/3 डी0, प्लॉट संख्या – 985,

रकबा – 6 डी0 मधे 4 डी0, प्लॉट नं0 – 986, रकबा – 25 डी0 मधे 16 1/6 डी0। कुल खाता 01, प्लॉट 03, कुल रकबा – 28 डी0 यह उपरोक्त जमीन (1) भगीरथ सोनार, पिता – दासो सोनार (2) मसोमात कोशीला, पति – बालगोविन्द सोनार से लिए है। इस जमीन का दाखिल खारिज करवा लिये है जो कि अंचल कार्यालय बगोदर में ऑनलाईन जमाबंदी सरजू सोनार, पिता – वकील चन्द के नाम से दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 05 – यह कि प्रथम पक्ष ने जो वाद लाये है खाता नं0 – 166, प्लॉट नं0 – 986, रकबा – 25 डी0 मधे 13 डी0 पर इस प्लॉट में तो द्वित्तीय पक्ष को 16 1/6 डी0 जमीन खरीदगी है, प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया जाना गलत है, क्योंकि द्वित्तीय पक्ष इस प्लॉट नं0 – 985 एवं 986 में से कुल रकबा – 22 डी0 में चाहरदिवारी देकर शांति पूर्वक रह रहे हैं।

उस जमीन में कुँआ, बोरिंग पुरा घर मकान ढलाई का बाथरूम टंकी, पेड़–पौधा, आम सागवान इत्यादि का लगा हुआ है जमीन में लगभग द्वित्तीय पक्ष 100 वर्षों से अधिक समय से रहकर दखलकार चले आ रहे हैं वो है। इस जमीन में वर्त्तमान में द्वित्तीय पक्ष के सदस्य में मालती देवी पति – अशोक स्वर्णकार के नाम पर अबुवा आवास आया हुआ है, पुराना घर तोड़कर द्वित्तीय पक्ष नया अबुआ – आवास जमीन में बना रहे हैं इसलिए प्रथम पक्ष ने ईरशा वश आकर वाद को लाया है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि इस खतियान में बहुत सारे रैयत के नाम है। जिसमें सबके नाम पर अलग – अलग बाईकब्जा लिखा हुआ है परन्तु सभी लोग जमीन दखल – कब्जा के अनुसार बंटवारा नहीं किये बल्कि मौखिक अपने सुविधा के अनुसार बंटवारा कर कुछ जमीन बिकी भी किये है। और सुविधा के अनुसार दखलकार भी चले आ रहे है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि उभय पक्ष ने पूर्वज प्रसादी सोनार वो फुलचंद सोनार वो वकील चंद सानेार, पेशरान पुरन सोनार एवं अन्य लोगो के नाम पर है। प्रसादी सोनार के जयलाल सोनार, युगल सोनार। फुलचंद सोनार का एक मात्र बेटा बालगोविन्द सोनार, बालगोविन्द सोनार नावल्द ही मर गये।

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 400, दिनांक – 09.05.2024, अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगोदर	166	986	25 डी0 मधे 13 डी0	उ0– रास्ता, द0– पोखर अनंतलाल, पु0– नीज, प0– रबुल मियां एवं मदर मियां।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 166, रैयती खाता की भूमि है, जो प्रसादी सोनार वगैरह के नाम पर दर्ज है।

3. **प्रथम पक्ष** की ओर से खाता नं0 – 166 का ऑफलाइन खतियान समर्पित किया गया है, इस खतियान में प्रत्येक प्लॉट के सामने बकब्जे रैयत का नाम लिखा हुआ है, **विवादित प्लॉट नं0 – 986 के सामने बकब्जे प्रसादी सोनार लिखा हुआ है।**

प्रथम पक्ष खेमलाल स्वर्णकार, खतियानी रैयत प्रसादी सोनार के वंशज हैं, और इसी के आधार पर इस प्लॉट पर दावा कर रहे हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रसादी सोनार वगैरह के नाम से खाता नं0 – 166 का, वर्ष 2015 का ऑफलाईन लगान रसीद भी संलग्न किया गया है।

4. **द्वित्तीय पक्ष** का कहना है कि उभय पक्ष एक ही खतियान धारी के वंशज है, और दोनों पक्ष के पूर्वजों के बीच में जमीन का बंटवारा मौखिक हो चुका है, उपरोक्त जमीन (1) भगीरथ सोनार, पिता – दासो सोनार (2) मसोमात कोशीला, पति – बालगोविन्द सोनार से ––– द्वित्तीय पक्ष के पूर्वज सरजू सोनार, पिता – वकील चंद सोनार को खरीदगी से प्राप्त हुआ है।

पुनः द्वित्तीय पक्ष का कहना है कि खतियान में सभी प्लॉट के सामने बकब्जे रैयत का नाम लिखा हुआ है, परन्तु सभी लोग जमीन दखल – कब्जा के अनुसार बंटवारा नहीं किये बल्कि मौखिक अपने सुविधा के अनुसार बंटवारा कर कुछ जमीन बिक्री भी किये हैं।

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में कोई भी राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह विवाद दोनों पक्षों के बीच बंटवारा और हक हिस्सा से संबंधित है, जिसका निपटारा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.23 11:01:03 +05:30
Location: 192.168.1.5

10.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

10.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।